न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 16/2019

प्रार्थीगण	बनाम अप्रार्थीगण
1. कलवन्त सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. भजन सिह पुत्र कलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. मेजर सिंह पुत्र मंगल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर 2. गुरदीप सिह पुत्र मंगल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. राजिन्द्र सिंह उर्फ हरजिन्द्र सिंह पुत्र मंगल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 4. मंगल सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:–08.07.2019

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री अशोक जोशी, अप्रार्थी संख्या 1 ता 4

––निर्णय–– **दिनांक : 31.08.2022**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 2074 के खाता संख्या 68/09 के मु0नं0 42 के किला नं0 11/2 से 20 कुल 1.695 है0 नहरी भूमि राजस्व अभिलेख में आवेदकगण के नाम दर्ज है। चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 2074 के खाता संख्या 71/73 के मु0नं0 42 के किला नं0 5/2 के 0.013 है0., 6/2 के 0.013 है0, 15/2 के 0.013 है0, 16/02 के 0.012 है0, 25/02 के 0.012 है0 कुल 0.063 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम सयुंक्त रूप दर्ज है। आवेदक संख्या 1 कलवन्त सिंह व अनावेदक संख्या 4 मंगल सिंह आपस में सगे भाई है। शेष उनके पुत्र है। कलवन्त सिंह व मंगल सिंह ने आज से कई वर्षो पूर्व उक्त मुरब्बा नं0 42 का आपसी सहमति से विभाजन कर लिया था व उसी अनुसार किलावाईज कृषि भूमि राजस्व अभिलेख मे अपने अपने नाम दर्ज करवा ली। मुंरब्बा नम्बर 42 के किला नंम्बर 1 से 5 में स्वीकृत रास्ता मौका पर चालू है। चूंकि आवेदकगण के हिस्सा में मुरब्बा नं0 42 के किला नं0 11/2 से 20 कुल 1.695 है0 नहरी कृषि भूमि आई हुई है। इस कारण आवेदकगण के किला जात में आने जाने के लिये अनावेदकगण ने अपने किलाजात 5/2, 6/02 व 15/02 मे 1-1 बिस्वा भूमि रास्ता के लिये आज से करीब 15-20 वर्ष पूर्व [illegible]। उक्त रास्ता आज भी मौका पर चालू है। इसी रास्ता से होकर आवेदकगण अपनी कृषि भूमि में आते जाते है। आवेदकगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के [illegible] यानि अपनी जोतों तक पहुंचने के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक या विशिष्ट रूप से मार्ग [illegible] नही है। आवेदकगण की कृषि भूमि मुरब्बा नं0 42 के किला नं0 16 तक पहुंचने के लिये अनावेदकगण के मुरब्बा नं0 42 के किला नं0 5/2, 6/02 व 15/02 में 1-1 बिस्वा भूमि मार्ग स्वीकृत किया जाना आवेदकगण की आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और इस मार्ग के अतिरिक्त विशिष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:20:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

हल से या वैकल्पिक रूप से मार्ग या साधन का अभाव है। उक्त प्रस्तावित रास्ता हेतु आवेदकगण ने अनावेदकगण से कई बार पंचायत के समक्ष मांग की है। आज से पांच दिन पूर्व ही आवेदकगण ने पंचायत के समक्ष अनावेदकगण से प्रस्तावित रास्ता छोड़े जाने की मांग की तो अनावेदकगण ने स्पष्ट कहा कि हम आपको अपनी भूमि में से आने जाने नहीं देंगे। इस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त आवेदन प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प आवेदकगण के पास शेष नहीं रहा। इस कारण आवेदकगण वाद हेतुक उत्पन्न होने के पश्चात समयावधि के भीतर, विधिक प्रावधानों के अनुरूप उक्त आवेदन प्रस्तुत कर रहे है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व धनाधिकार का है और पूर्ण कोर्ट फीस पर तहरीर होकर अन्दर मियाद पेश है। अतः आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 47 एफ की कृषि भूमि के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नं0 5/2, 6/2 व 15/2 प्रत्येक में 1-1 बिस्वा किला नं0 16 तक रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' रूप में अभिलिखित किये जाने के आदेश तहसीलदार राजस्व श्रीकरनपुर को जारी करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी उपस्थित आए व जवाब प्रार्थना पत्र पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण के नाम दर्ज मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 की 0.063 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की उनके उक्त किलाजात में आवागमन हेतु छोड़ने अथवा यह आज भी चालू होने अथवा प्रार्थीगण के इसी रास्ता से आने जाने अथवा प्रार्थीगण के पास इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं होने के कथन गलत अंकित किए गए है। वास्तव में प्रार्थीगण के नाम दर्ज किला नम्बर 11, 20 व अन्य खाता में इसी मुरब्बा नम्बर 4 में दर्ज किला नम्बर 21 की भूमि इसके पश्चिम की ओर स्थित श्रीकरणपुर रायसिंहनगर मुख्य मार्ग से चिपती हुई भूमि है, अर्थात प्रार्थीगण के नाम दर्ज इस मुरब्बा की कुल भूमि में से ढाई बीघा भूमि मुख्य सड़क से चिपती हुई है। इसी मुख्य मार्ग से प्रार्थीगण सुगमता से आवागमन करते आ रहे है। प्रार्थीगण येनकेन प्रकारेण अप्रार्थीगण के नाम इस खाता में दर्ज महज 0.063 हेक्टेयर भूमि को गैरमुमकिन दर्ज करवाकर उन्हें प्रत्यक्ष नुकसान पंहुचाना चाहते है। प्रार्थना पत्र आधारहीन रूप से प्रस्तुत किया गया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण को कोई वादकारण हासिल नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा अपने पत्रांक 813 दिनांक 21.08.2019 के साथ मूल रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक 9 एफ ए, फर्द मौका मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हलका द्वारा चक 47 एफ के मुरब्बा नम्बर 42 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन [illegible] कर, यह पाया गया कि चक 47 एफ के आबादी मुरब्बा नम्बर 22 के किला [illegible] 21 के दक्षिण पूर्व में मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर [illegible] 20,21 पर [illegible] आगे दक्षिण पश्चिम में मुरब्बा नम्बर 46,45,44,43 के किला [illegible] पर चलने से आगे मुरब्बा नम्बर 42 का किला नम्बर 5/2 आता [illegible] से पहले तक का रास्ता रिकॉर्ड में मंजूरशुदा एवं मौके पर चालू है। यहां से मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 5/2,6/2,15/2 में 1-1 बिस्वा रास्ता पत्थर लाईन के साथ मंजूर करने पर वादी अपनी कृषि जोत तक पंहुच सकता है। उक्त प्रस्तावित रास्ता चक 47 एफ की आबादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:20:16 IST
Reason: SelfAttested

... लगभग 1400 मीटर की दूरी पर है। इसके अलावा अन्य विकल्प मे वादी चक 47 एफ की आबादी मुरब्बा नम्बर 22 के उत्तर मे चक 47 एफ की आबादी मुरब्बा नम्बर ... के किला नम्बर 21 के दक्षिण-पश्चिम मे मुरब्बा नम्बर 27, 26, 25, 24 के किला नम्बर 1 ता 5 तक स्वीकृत रास्ते पर चलकर एंव मुरब्बा 24 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 मे स्वीकृत सडक/हाइवे पर चलकर दक्षिण मे मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1.10.11.20.21 के हाइवे पर चलकर चक 47 एफ के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1 मे पहुंच सकता है। जहां किला नम्बर 1 व 10 मे उपलब्ध हाइवे मार्ग से वादी अपने खेत मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 11/2 से 20 मे पहुच सकता है। उक्त रास्ता मे प्रार्थी को लगभग 2 किलोमीटर दूरी आबादी से तय करनी पडेगी एवं एवज मे ... भी नही देना पडेगा।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी, की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानो पर मनन किया। भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 68/09 के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 11/2 ता 20 की कुल 1.695 हेक्टैयर भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 5/2, 6/2, 15/2 से अपने खेत मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 15 तक पहुचने के लिए रास्ते की मांग की गई है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर व मौका निरीक्षण के अनुसार प्रार्थीगण के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 11/2 ता 20 की कुल 1.695 हेक्टैयर भूमि को प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता श्रीकरणपुर-रायसिंहनगर हाइवे उपलब्ध है। जिससे प्रार्थीगण अपने मुरब्बा 42 के किला नम्बर 11/2 से 20 की कुल 1.695 हेक्टैयर भूमि मे सुगमता से आवागमन कर सकता है। जिसकी एवज मे प्रार्थीगण को भूमि भी नही देनी पडेगी। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मात्र सुविधा के लिए है। यह प्रार्थीगण की आत्यतिंक आवश्यकता नही है। अतः हम प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित नही होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुभाष चन्द (आर.ए.एस.))
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को मेरे द्वारा खुले इजलास मे लिखाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुभाष चन्द (आर.ए.एस.))
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (राजस्व)
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:20:16 IST
Reason: SelfAttested